

राजस्थान राज्य सहकारी क्रय-विक्रय संघ लि०,  
4, भवानी सिंह रोड़, जयपुर-302001

फोन.न.0141-2740203, 2740684  
ई-मेल- -----

ई-बिड

वित्तीय वर्ष 2020-21 में राजफैड की गैस एजेंसी के उपभोक्ताओं के घर सिलेण्डर वितरण (घरेलु एवं वाणिज्यिक) कार्य हेतु ऑन-लाईन ई-बिड आमंत्रित की जाती है। निविदा की तिथि, समय, शर्तें एवं अन्य जानकारी हेतु दिनांक 28.02.2020 से वेबसाईट <http://eproc.rajasthan.gov.in>, [www.rajfed.gov.in](http://www.rajfed.gov.in) एवं [sppp.rajasthan.gov.in](http://sppp.rajasthan.gov.in) पर देखी जा सकती है। संशोधन/शुद्धि पत्र भी इन्हीं वेबसाईट पर दिया जायेगा।

प्रभारी(गैस)

राजस्थान राज्य सहकारी क्रय-विक्रय संघ लि०,  
4, भवानी सिंह रोड़, जयपुर-302001

फोन.न.0141-2740203, 2740684  
ई-मेल- -----

घरेलु एवं वाणिज्यिक गैस सिलेण्डरों की आपूर्ति के लिए परिवहन/वितरण  
हेतु परिवहनकर्ता/फर्मों एवं संवेदकों की दर संविदा हेतु ई-बिड सूचना

वर्ष 2020-21 में शहर के घरेलु एवं वाणिज्यिक गैस आपूर्ति के लिए परिवहन/वितरण कार्य किया जाना है। इसके अन्तर्गत जयपुर में विभिन्न एजेंसियों से उपभोक्ता तक गैस सिलेण्डर(घरेलु एवं वाणिज्यिक) वितरण एवं खाली सिलेण्डर वापिस एजेंसी गोदाम में रखने हेतु परिवहन का कार्य किया जाना है। इस कार्य को करने हेतु इच्छुक फर्मों/परिवहनकर्ता/संवेदकों का वितरण कार्य हेतु दर संविदा द्वि-प्रक्रमी बोली(टू-बिड) प्रणाली से ऑनलाईन किया जाना है। इस हेतु ई-बिड आवेदन पत्र दिनांक 12.03.2020 तक प्रस्तुत किये जाने हैं। आवेदन पत्र का प्रारूप, वितरण कार्य का विवरण एवं कार्य की शर्तें तथा अन्य विवरण दिनांक 28.02.2020 से राजकीय पोर्टल (<http://sppp.rajasthan.gov.in>), ([eproc.rajasthan.gov.in](http://eproc.rajasthan.gov.in)) व राजफैड की वेबसाईट [www.rajfed.gov.in](http://www.rajfed.gov.in) पर देखें। संशोधन/शुद्धि पत्र भी इसी वेबसाईट पर दिया जावेगा। आवेदन पत्र व शर्तें उक्त वेबसाईट से डाउनलोड किये जा सकते हैं।

प्रभारी(गैस)

राजस्थान राज्य सहकारी क्रय-विक्रय संघ लि०,

घरेलु एवं वाणिज्यिक गैस सिलेण्डरों की आपूर्ति के लिए परिवहन/वितरण  
हेतु ई-बिड

**Critical Dates**

S. No.	Particulars	Date
1.	Date of publishing Notice Inviting Bids and Bidding Document on State Public Procurement Portal	
2.	Date from which Bidding Document will be provided from the website of RRSKVS, JAIPUR i.e. <a href="http://www.rajfed.gov.in">www.rajfed.gov.in</a> or can be downloaded from e-procurement Portal or State Public Procurement Portal	
3.	Date upto which queries for clarifications on Bidding Document can be sent to Managing Director, Rajfed, Jaipur e-mail -----	
4.	Last date and time upto which Bids can be submitted/ uploaded on e-procurement Portal website : <a href="http://www.eproc.rajasthan.gov.in">www.eproc.rajasthan.gov.in</a>	
5.	Date and time of opening of Technical bid for registration of bidders	
6.	Financial bid shall be open after evaluation of Technical bid	<b>To be declared later</b>

Signature of the Applicant  
In acceptance of the above

Incharge(Gas)

घरेलु एवं वाणिज्यिक गैस सिलेण्डरों की आपूर्ति के लिए

परिवहन / वितरण कार्य की बिड

हेतु

तकनीकी बिड

**आवेदन पत्र के साथ तकनीकी बिड के मूल्यांकन हेतु निम्न आवश्यक प्रपत्रों की (चैक लिस्ट) सूची**

क्र.सं	विवरण	ई-बीड कवर
1.	घरेलु सिलैण्डर हेतु रू. 1.00 लाख व वाणिज्यिक सिलैण्डर हेतु रू. 2.00 लाख अर्नेस्ट मनी राशि का बैंक ड्राफ्ट/बैंकर चैक आर.आर.एस.के.वी.एस ..... के नाम ।	कवर-ए
2.	बोली दस्तावेज का मूल्य 500 रू. + 12 प्रतिशत रू. 60/- जीएसटी. कुल राशि 560 रू. का बैंक ड्राफ्ट/बैंकर चैक आर.आर.एस.के.वी.एस के पक्ष में देय होगा ।	कवर-ए
3.	बिड प्रोसेसिंग फीस राशि रू. 1000 का बैंक ड्राफ्ट/बैंकर चैक आर.आई.एस.एल, जयपुर के पक्ष में ।	
4.	आयकर स्थायी खाता (पैन कार्ड) की फोटो प्रति ।	कवर-ए
5.	जी.एस.टी पंजीयन की फोटो प्रति ।	कवर-ए
6.	आधार कार्ड एवं वोटर आई.डी. की प्रति	कवर-ए
7.	ई.एस.आई के पंजीयन की फोटो प्रति अथवा आवेदन के साक्ष्य की प्रति ।	कवर-ए
8.	बिजली के बिल की प्रति	कवर-ए
9.	दो सम्मानित व्यक्तियों से सत्यापित चरित्र प्रमाण पत्र ।	कवर-ए
10.	यदि फर्म साझेदार फर्म है तो साझेदारी प्रपत्र की प्रति एवं फर्म द्वारा अधिकृत व्यक्ति का अधिकार पत्र संलग्न किया जाना आवश्यक है ।	कवर-ए
11.	गैस वितरण हेतु स्वयं के साधन का विवरण (वाहन के पंजिकरण की फोटो प्रति) संलग्न करें।	कवर-ए
12.	बोली लगाने वालो सत्यनिष्ठ सहिता की अनुपालना एवं हित का विरोध नहीं होने का प्रपत्र (परिशिष्ट-अ)	कवर-ए
13.	बोलीदाता की अनुभव प्रमाण पत्र की प्रति	कवर-ए
14.	उपापन प्रक्रिया के दौरान शिकायत निवारण प्रक्रिया (परिशिष्ट-स)	कवर-ए
15.	अनुबन्ध की अतिरिक्त शर्तें (परिशिष्ट-द)	कवर-ए
16.	जयपुर शहर की गैस एजेन्सीयों से उपभोक्ता तक सिलेण्डरों का वितरण एवं खाली सिलेण्डर वापिस एजेन्सी गोदाम में जमा कराने हेतु घरेलु व वाणिज्यिक गैस सिलेण्डरों की आपूर्ति हेतु <u>परिवहन/वितरण</u> की प्रस्तावित दरों का विवरण (पृथक-पृथक) (BOQ) पत्र	कवर-बी

## घरेलु एवं वाणिज्यिक गैस सिलेण्डरों की आपूर्ति के लिए परिवहन/वितरण कार्य हेतु बिड के लिये आवेदन पत्र

राजस्थान राज्य सहकारी क्रय-विक्रय संघ लि०,  
जयपुर।

महोदय,

मैं/हम गैस एजेन्सी से उपभोक्ता तक एवं खाली सिलेण्डर वापिस एजेन्सी गोदम तक गैस सिलेण्डर(घरेलु/वाणिज्यिक) के परिवहन कार्य हेतु बिड के लिए आप द्वारा जारी किया गया आमंत्रण पत्र, दिशा-निर्देश एवं शर्तें (टर्म्स एंड कंडीशनस) को पढ व समझ लिये है। मैं/हम इन सभी दस्तावेजों की शर्तों को मानने के लिए बाध्य हूँ/है। मैं/हम जयपुर शहर के लिए वितरण कार्य के लिए आवेदन प्रस्तुत कर रहा हूँ।

दिनांक:

(आवेदनकर्ता के हस्ताक्षर)  
फर्म/आवेदक का नाम  
पता:  
मोबाईल नम्बर:

ढेकेदार / परिवहनकर्ता / फर्म का विवरण

- 1- कारोबार का नाम :-
- 1- यदि आवेदनकर्ता एकाकी स्वामी(सोल प्रोपराईटर है तो स्वामी का नाम (पिता के नाम सहित ) \_\_\_\_\_
- 2- यदि आवेदनकर्ता अविभक्त हिन्दू परिवार है तो परिवार के कर्ता का नाम :- \_\_\_\_\_
- 3- शैक्षणिक योग्यता (प्रमाण पत्र प्रति संलग्न करे।) \_\_\_\_\_
- 2- यदि आवेदनकर्ता भागीदारी संस्था (पार्टनरशीप फर्म) है तो :
- (अ) फर्म का नाम \_\_\_\_\_
- (ब) रजिस्ट्रेशन का पूरा नाम \_\_\_\_\_
- (स) भागीदारों के नाम,पते \_\_\_\_\_
- (भागीदारी के दस्तावेज,पार्टनरशिप डीड की फोटो स्टेट प्रतिलिपि संलग्न करें।
- 3- यदि आवेदनकर्ता सहकारी संस्था है तो :
- पंजियन के प्रमाण पत्र (रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट) की प्रतिलिपि तथा इस कार्य के करने के अधिकार हेतु इस समिति के प्रस्ताव की एक प्रति संलग्न की जावे :-
- 4- गैस वितरण हेतु स्वयं के साधन का विवरण (वाहन पंजीकरण की फोटो प्रति संलग्न करे)
- 5- स्थानीय पता :-
- 1- डाक का पूरा पता(फोटो प्रति संलग्न करे।) \_\_\_\_\_
- 2- दूरभाष/मोबाईल संख्या (कार्यालय ) \_\_\_\_\_
- (निवास) \_\_\_\_\_
- एस.टी.डी. (कोड सहित) \_\_\_\_\_

- 6— (अ) आयकर स्थाई खाता संख्या (PAN NO.) \_\_\_\_\_  
 (पैन नम्बर की छाया प्रति संलग्न की जाए)  
 (ब) वोटर कार्ड एवं आधार कार्ड की प्रति \_\_\_\_\_  
 (ब) जी.एस.टी. पंजीयन संख्या \_\_\_\_\_  
 (जी.एस.टी. पंजीयन प्रमाण-पत्र की छाया प्रति संलग्न की जाए)  
 (स) ई.एस.आई रजिस्ट्रेशन नम्बर \_\_\_\_\_  
 (ई.एस.आई पंजीकरण प्रमाण-पत्र की छायाप्रति अथवा आवेदन के साक्ष्य की प्रति)
- 7— घरेलु सिलेण्डर की रू. 1.00 लाख एवं वाणिज्यिक सिलेण्डर की रू. 2.00 लाख सुरक्षा राशि (अर्नेस्ट मनी) राशि आर.आर.एस.के.वी.एस. जयपुर ,.....के पक्ष में देय ड्राफ्ट/बैंकर चैक नम्बर \_\_\_\_\_दिनांक\_\_\_\_\_ बैंक का नाम .....राशि ..... की फोटो प्रति अपलोड कर दी गई है। मूल डिमाण्ड ड्राफ्ट/बैंकर चैक सम्बन्धित आर.आर.एस.के.वी.एस. जयपुर .....में बिड खोलने के समय से पूर्व जमा करा दिया जायेगा तथा सफल बिडदाता को घरेलु सिलेण्डर की रू. 1.00 लाख एवं वाणिज्यिक सिलेण्डर की रू. 2.00 लाख की राशि निष्पादन प्रतिभूति कार्य निष्पादन से पूर्व जमा करानी होगी।
- 8— बिड हेतु आवेदन प्रपत्र मूल्य राशि 500+जीएसटी 12 प्रतिशत= 560 का ड्राफ्ट/बैंकर चैक नम्बर\_\_\_\_\_दिनांक\_\_\_\_\_ बैंक का नाम ..... आर.आर.एस.के.वी.एस. जयपुर एवं आर.आई.एस.एल जयपुर के पक्ष में बिड प्रोसेसिंग फीस राशि रू. 1000 का ड्राफ्ट/बैंकर चैक नम्बर\_\_\_\_\_दिनांक\_\_\_\_\_ बैंक का नाम ..... की फोटो प्रति अपलोड कर दी गई है। मूल डिमाण्ड ड्राफ्ट/बैंकर चैक सम्बन्धित आर.आर.एस.के.वी. एस. जयपुर ..... में बिड खोलने के समय से पूर्व जमा करा दिया जायेगा।

**नोट :** 1— नोट :- आप पर जो मद लागू हो, उस पर सही (  $\sqrt{\quad}$  )का चिन्ह लगाकर दरें अंकित कर अपने हस्ताक्षर कर दे और जो लागू नहीं होती हों उसे काट ( X ) दे।

दिनांक:

(आवेदनकर्ता के हस्ताक्षर)  
 फर्म/आवेदक का नाम:  
 पता:  
 मोबाईल नम्बर:



## परिवहन निविदा की शर्तें परिवहन निविदा की शर्तें

- 1— निविदा दिनांक 12.03.2020 को 1.00 बजे तक भरी जावेगी, एवं इसी दिन साय: 4.00 बजे खोली जावेंगी।
- 2— प्रत्येक परिवहनकर्ता के आवेदन फार्म के साथ घरेलु सिलेण्डर हेतु रु. 1.00 लाख व वाणिज्यिक सिलेण्डर हेतु रु. 2.00 लाख अर्नेस्ट मनी राशि का बैंक ड्राफ्ट/बैंकर चैक आर.आर.एस.के.वी.एस .....के नाम एवं बोली दस्तावेज का मूल्य 560 रु. का बैंक ड्राफ्ट/बैंकर चैक आर.आर.एस.के.वी.एस के पक्ष में तथा बिड प्रोसेसिंग फीस राशि रु. 1000 का बैंक ड्राफ्ट/बैंकर चैक **एम.डी.आर.आई.एस.एल, जयपुर** के पक्ष में जमा कराना होगा। स्वीकृत परिवहनकर्ता को अनुबन्ध के पूर्व घरेलु गैस सिलेण्डर की 1,00,000 लाख रु. की एवं वाणिज्यिक गैस सिलेण्डर हेतु 2,00,000 लाख रु. की किसी बीमा कम्पनी से राजफैड के पक्ष में फिडीलिटी गारन्टी देनी होगी, जमा राशि पर राजफैड द्वारा कोई ब्याज नहीं दिया जावेगा।
- 3— किन्ही दो अलग-अलग सम्मानीय व्यक्तियों से सत्यापित चरित्र प्रमाण-पत्र संलग्न किया जाना होगा।
- 4— प्रत्येक परिवहनकर्ता को अनुभव प्रमाण-पत्र के रूप में किसी गैस एजेन्सी का एक वर्ष का वितरण कार्य करने का अनुभव प्रमाण-पत्र देना होगा।
- 5— प्रत्येक परिवहनकर्ता को हिन्दी में लिखने पढने का ज्ञान आवश्यक है।
- 6— प्रत्येक परिवहनकर्ता को नियुक्ति किये गये डिलीवरी मैन को इण्डियन ऑयल के द्वारा निर्धारित वर्दी में वितरण कार्य करना होगा एवं राजफैड के द्वारा दिये गये परिचय पत्र एवं स्वयं का मोबाईल चालु हालत में साथ रखना होगा। आई.ओ.सी द्वारा निर्धारित वर्दी, तोलने का कांटा, मोबाईल एवं फॉयर इक्यूमेन्ट गाड़ी में डिलीवरी मैन के स्वयं के खर्च पर रखना आवश्यक होगा।
- 7— डिलीवरी मैन द्वारा रखे गये कर्मचारी को इण्डियन ऑयल द्वारा निर्धारित वर्दी में आना होगा तथा परिचय पत्र, कांटा एवं मोबाईल चालु हालत में साथ रखना होगा एवं इसकी सूचना राजफैड को देनी होगी। राजफैड द्वारा इस सम्बन्ध में कोई भुगतान देय नहीं होगा।
- 8— निविदा आवेदन पत्र पर एक नवीनतम पासपोर्ट साईज फोटो लगानी होगी। जो कि राजपत्रित अधिकारी /नोटरी पब्लिक से प्रमाणित करानी होगी।
- 9— यदि आवेदनकर्ता को किसी भी एजेन्सी द्वारा किसी गलत कार्य हेतु आरोपित किया गया है तो ऐसे व्यक्ति आवेदन नहीं करें यदि करते हैं एवं तथ्य का राजफैड को पता चलता है तो सिक्यूरिटी राशि जब्त कर ली जावेगी एवं अनुबन्ध निरस्त कर दिया जायेगा।
- 10— परिवहनकर्ता द्वारा प्रतिदिन 30 सिलेण्डर घरेलु से अधिक सिलेण्डर की सप्लाई करनी होगी।
- 11— प्रत्येक परिवहनकर्ता को इण्डियन ऑयल राजफैड के द्वारा समय-समय पर जारी किये गये निर्देशों की पालना की जानी होगी।
- 12— सिलेण्डर को पंजीकृत उपभोक्ता के स्थान पर किसी अन्य के यहाँ लगाने पर प्रति सिलेण्डर 1000 रु. अर्थदण्ड देना होगा।

- 13- एक माह में तीन बार से अधिक उपरोक्त क्र.सं 12 के अनुसार गलती दोहराने पर अनुबन्ध समाप्त करने एवं सिक्यूरिटी राशि जब्त करने का अधिकार राजफैड का होगा।
- 14- आई.ओ.सी द्वारा कभी भी जाँच करने पर किसी भी प्रकार की शिकायत पाये जाने पर लगाये जाने वाले दण्ड को परिवहनकर्ता द्वारा वहन किया जावेगा। (जैसे डम्पिंग, कम तौल और लीकेज आदि)
- 15- रसद विभाग के अधिकारियों द्वारा पोईन्ट पर चैकिंग की जाने पर लगाई जाने वाली दण्डनीय शास्ती एवं अन्य कोई कार्यवाही के लिए भी परिवहनकर्ता उत्तरदायी रहेगा एवं भविष्य के लिये राजफैड द्वारा ब्लेक लिस्टेड घोषित कर दिया जावेगा।
- 16- संघ के गैस गोदाम से प्राप्त गये 14.2 किग्रा एवं 19.2 किग्रा एल.पी.जी. के भरे सिलेण्डर को संघ को सौंपने तक परिवहनकर्ता द्वारा अपनी जिम्मेदारी में बतौर अमानत सुरक्षित रखे जावेगे। सिलेण्डर गुम हो जाने पर परिवहनकर्ता से प्रति सिलेण्डर घरेलु राशि 1700 रु. एवं प्रति सिलेण्डर वाणिज्यिक राशि 2300 रु. वसूल किये जायेगे।
- 17- वितरण के लिये प्राप्त किये जाने वाले खाली एल.पी.जी सिलेण्डरों के नम्बर मिलाकर (चेक कर) प्राप्त किये जावेंगे एवं बदले में प्राप्त खाली सिलेण्डर के नम्बर मिलाकर रिफिल वाउचर एवं उपभोक्ता पुस्तिका में दर्ज कर एक रिफिल वाउचर उपभोक्ता को देगे एवं उपभोक्ता के हस्ताक्षर प्राप्त कर एक रिफिल वाउचर मय कूपन के सिलेण्डर नम्बर लिखकर कार्यालय में सिलेण्डरों की प्राप्त के साथ पर्ची व कूपन जमा करानी होगी।
- 18- राजफैड द्वारा जो रिफिल परिवहनकर्ता को दी जावेगी वह उसी दिन अथवा अधिक से अधिक अगले दिवस गैस उपभोक्ता के सामने सील चैक करवाकर एवं गैस लीक/सही वजन की जाँच कराकर सही हालत में लगानी होगी अन्यथा खराब हालत में लगाने व देरी होने की स्थिति में होने वाली हानि की जिम्मेदारी परिवहनकर्ता की होगी।
- 19- खाली सिलेण्डरों के नम्बर मिलान कर लिखकर गोदाम कीपर को संभलवाना होगा एवं गैस बिक्री की सम्पूर्ण राशि कार्यालय में अगले दिन प्रातः 11 बजे तक जमा करानी होगी। राशि समय पर जमा न कराने की स्थिति में परिवहनकर्ता की जमा सिक्यूरिटी राशि जब्त कर ली जावेगी। यदि फिर भी परिवहनकर्ता की ओर बकाया रह जाती है तो अनुबन्ध की शर्तों के अनुसार वसूली की जावेगी।
- 20- सिलेण्डर गोदाम से प्राप्त करने के पश्चात् एक स्थान पर इक्टठे नहीं किये जावेंगे एवं प्रत्येक उपभोक्ता के निवास स्थान पर जाकर सिलेण्डर वितरण कार्य किया जावेगा।
- 21- पंजीकृत उपभोक्ता को सप्लाई देकर ब्ल्यू बुक में प्रविष्टि अनिवार्य होगी, साथ ही उपभोक्ता से हस्ताक्षरित प्राप्ति रसीद के प्राप्त कूपन संलग्न कर लौटाना होगा।
- 22- ब्ल्यू बुक में प्रविष्टि अनिवार्य होगी यदि ब्ल्यू बुक में 3 प्रविष्टि नहीं पायी जाती है तो प्रत्येक के लिये 200 रु. अन्य शास्ती के अलावा वसूल किये जावेंगे।
- 23- सिलेण्डर सही स्थिति में यथा जाँच कर, तौलकर उपभोक्ता के यहाँ अपने साधन से सप्लाई किये जावेंगे व तौलने के लिये तुलाई हेतु इण्डियन ऑयल द्वारा निर्धारित उपकरण परिवहनकर्ता का स्वयं का होगा।

- 24— परिवहनकर्ता के द्वारा स्वयं का एवं परिवहन कार्य नियुक्त किये गये डिलीवरी मैन का नाम एवं पता चरित्र प्रमाण—पत्र, फोटो एवं मोबाईल नम्बर आदि का विवरण दिया जाना होगा।
- 25— प्रत्येक ठेकेदार को आवंटित क्षेत्र में बदलाव का अधिकार गैस इंचार्ज के विवेक पर निर्भर होगा।
- 26— गैस वितरण का कार्य राजफैड द्वारा समय—समय पर जारी दिशा—निर्देशों के अनुसार निर्धारित समयावधि में किया जावेगा।
- 27— सिलेण्डर सप्लाई के उपयोग में लिये जाने वाले वाहन की अच्छी कन्डीशन होनी चाहिये ज्यादा पुराने वाहन का उपयोग नहीं करें। वाहन पर इण्डियन ऑयल द्वारा निर्धारित रंग होगा एवं शब्द अंकित रहेंगे। जो कि परिवहनकर्ताओं के द्वारा अपने खर्च पर किया जावेगा। परिवहनकर्ताओं द्वारा स्वयं के खर्च पर गाड़ी का निर्धारित समय पर पोल्युशन एवं फिटनेस जाँच करवाना अनिवार्य होगा।
- 28— परिवहन कार्य हेतु प्राप्त किसी भी निविदा को स्वीकार करने अथवा निरस्त करने का पूर्ण अधिकार प्रबंध संचालक राजफैड का रहेगा।
- 29— परिवहन कार्य हेतु किये जाने वाले अनुबन्ध की किन्ही शर्तों की पालना में उत्पन्न होने वाले विवाद की स्थिति में निपटारे हेतु न्यायालय का कार्य क्षेत्र जयपुर होगा। सिक्क्यूरिटी राशि वाद का निपटारा होने पर ही लौटायी जायेगी।
- 30— राजफैड द्वारा परिवहन कार्य हेतु भुगतान की जाने वाली राशि में से नियमानुसार आयकर व अन्य लागु करों की कटौती की जावेगी।
- 31— यदि परिवहनकर्ता को गैस वितरण में अनियमितता करने पर इण्डियन ऑयल, जिला रसद अधिकारी, पुलिस अधिकारी एवं जिला प्रशासन के द्वारा दोषी पाया गया तो ऐसी स्थिति में होने वाली कानूनी कार्यवाही के लिये परिवहनकर्ता स्वयं जिम्मेदार होगा। इस हेतु देय कानूनी फीस परिवहनकर्ता से वसूल की जावेगी।
- 32— यदि किसी कारणवश परिवहनकर्ता वितरण कार्य हेतु स्वयं उपस्थित नहीं हो सकता है तो पूर्व में राजफैड गैस प्रभारी को सूचित करते हुये वैकल्पिक व्यवस्था के रूप में अन्य किसी दूसरे परिवहनकर्ता की व्यवस्था करेगा, जिसकी पूरी जिम्मेदारी परिवहनकर्ता की होगी।
- 33— गैस वितरण कार्य करने की अवधि अनुबन्ध की दिनांक से एक वर्ष की होगी। राजफैड द्वारा इस अवधि को 6 माह हेतु बढ़ाया जा सकता है।
- 34— कार्य अवधि से पूर्व छोड़ने अथवा कार्य में अनियमितता पाये जाने पर नियमानुसार जमा प्रतिभूति राशि जब्त कर ली जावेगी।
- 35— उक्त शर्तों की सहमति बाबत 500 रु. के नॉन—ज्यूडिसियल स्टॉम्प पेपर पर राजफैड के साथ स्वयं के खर्चों पर अनुबन्ध किया जाना होगा। मूल अनुबन्ध राजफैड के पास रहेगा एवं परिवहनकर्ता को उसकी फोटो प्रति दी जावेगी।

हस्ताक्षर परिवहनकर्ता

घरेलु व वाणिज्यिक सिलेण्डर की गैस एजेंसी से  
उपभोक्ता व खाली सिलेण्डर उपभोक्ता से  
एजेंसी वितरण चार्ज के लिए परिवहन / वितरण की  
प्रस्तावित दरों हेतु  
वित्तीय  
बोली ।

राजस्थान राज्य सहकारी कय-विक्रय संघ लि0, जयपुर

कार्य का विवरण .-----

परिवहन कर्ता / ठेकेदार / फर्म का नाम -----

प्रस्तावित दर प्रति सिलैण्डर

विवरण	14.2 किग्रा(घरेलु)	19.2 किग्रा (वाणिज्यिक)
सिलेण्डर गैस एजेंसी से उपभोक्ता को वितरण एवं खाली सिलेण्डर उपभोक्ता से गैस एजेंसी गोदाम तक पहुंचाने का कार्य <u>परिवहन / वितरण</u> दर (अक्षरो में)		

हस्ताक्षर निविदादाता